भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 183

दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

दालों पर निर्यात सब्सिडी

183. श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दालों की कम घरेलू कीमतों को देखते हुए देश में दाल व्यापारियों को निर्यात सब्सिडी प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि आयातित दालों की लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक बनी रहे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का तुअर और उड़द दालों की मुक्त आयात नीति की समीक्षा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): दाल कारोबारियों को निर्यात सब्सिडी देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (च): सरकार आयातित माल की लदान लागत सहित घरेलू उत्पादन, उपलब्धता और कीमत परिदृश्य की कड़ी और निरंतर निगरानी के आधार पर दालों की आयात नीति तैयार करती है। सरकार ने देश भर के सभी उपभोक्ताओं के लिए यथोचित कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए घरेलू किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्पादन, उपलब्धता, कीमतों और बाजार की स्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद दिनांक 31 मार्च 2023 तक तुअर और उड़द के आयात को 'मुक्त' श्रेणी में रखा है।

*****